(शिकायत संख्या एस–11–सी–0193/2026)

श्री शरफुज़्ज़माँ बनाम जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार, पुरवा, जनपद–उन्नाव।

समक्ष–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

कारण बताओ नोटिस

धारा–6(1)	मांगी गई सूचना/अनुतोष
05.03.2026	इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने गाटा संख्या–235 (अ–ब) की वर्तमान स्थिति जाननी चाही है और उक्त गाटा में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति में जाननी चाही है। जनसूचना अधिकारी ने अभी तक सही सूचना नहीं उपलब्ध कराई है।

शिकायतकर्ता श्री विवेक उपाध्याय स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत मामले में गत सुनवाई दिनांक 20.07.2026 को जनसूचना अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–फिरोजाबाद को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए इस आशय की नोटिस निर्गत की गई कि शिकायतकर्ता को वांछित सूचनाएं सारिणी प्रारूप में 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराएं अन्यथा उनके विरुद्ध ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। प्रकरण में सुनवाई हेतु आज दिनांक 29.09.2026 की तिथि नियत की गई।

दिनांक 16.09.2026 को सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 15.09.2026 के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं, जिसकी एक प्रति आयोग की पत्रावली पर संचित है। उक्त सूचनाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि दी गई सूचनाएं संतोषजनक नहीं हैं।

इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने आवेदन दिनांक 01.04.2026 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार, पुरवा, जनपद–उन्नाव से सूचनाएं मांगी हैं और प्रकरण में सुनवाई हेतु क्रमशः दिनांक 30.08.2026 एवं 10.09.2026 को नोटिस निर्गत करने के बावजूद आज जनसूचना अधिकारी न तो उपस्थित हैं और न ही उनका कोई लिखित अभिकथन पत्रावली पर उपलब्ध है।

''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा–7(1) के अन्तर्गत 30 दिन के भीतर सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। प्रकरण में चार माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को अभी तक सही सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनसूचना अधिकारी सही सूचना नहीं देने के दोषी हैं और उनके द्वारा ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' के क्रियान्वयन में शिथिलता बरती जा रही है। प्रकरण में नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया जाना चाहिए।

फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए **जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार, पुरवा, जनपद–उन्नाव** को इस आशय की नोटिस निर्गत की जाए कि अगली सुनवाई तिथि पर वे आयोग के समक्ष **व्यक्तिगत तौर** पर उपस्थित होकर कारण बताएं कि क्यों न सही सूचना नहीं देने के लिए उनके विरुद्ध ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

वाद सुनवाई के लिए दिनांक 19.10.2026 को प्रस्तुत हो।

29.09.2026